1	2	3
21	Sikkim	9
22	Tamil Nadu	561
23	Tripura	83
24	Uttar Pradesh	5360
25	West Bengal	4022
26	A & N Islands	..
27	Chandigarh	..
28	D & N Haveli	4
29	Daman & Diu	..
30	Delhi	..
31	Lakshadweep	..
32	Pondicherry	..

Construction of houses under Indira Awas Yojna

2107. SHRI R. T. GOPALAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Government have issued directives to the State Governments that responsibility for constructing houses under Indira Awas Yajna should be put on the beneficiaries themselves;

(b) if so, whether Government are aware that the construction work of such houses is still being carried out by the departmental or outsider contractors and sub-standard houses are being constructed as a result thereof; and

(c) if so, the reaction of the Central Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Indira Awas Yojana (IAY)) houses are required to confirm to cost-norms prescribed in this behalf and the requirements of the plinth area which is prescribed to be 17—20 sq. mts. In vew on the experience that if the construction of the houses is left to the beneficiaries themselves, there with not only be economy in cost of construction but a large measure of personal satisfaction to them, the involvement of the beneficiaries at all stages of the construction of IAY houses has been emphasised.

However, neither any design for IAY houses nor the use of any specific material has been prescribed under the guidelines except that in the interest of economy, locally available low-cost and durable materials should be used. As no standard materials/designs etc. have been prescribed, it is difficult to opine whether substandard houses are being constructed.

Wherever complaints of poor quality construction of IAY houses have been received, the Government of India has got the matter enquired into through the State Government agencies and asked the State Governments to take remedial action.

The Government of India has also reiterated its guidelines that outside contractors should not be employed for construc-

tion of houses and that the beneficiaries should be involved in the construction right from the very beginning

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें

2109. **श्री प्रमोद महाजन :**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास विभाग कुल कितनी पत्रिकाएं प्रकाशित करता है;

(ख) पत्रिकाओं की हिन्दी और अंग्रेजी में अलग-अलग कितनी-कितनी प्रतियां मुद्रित करायी जाती हैं; और

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अंग्रेजी पत्रिकाओं के पाठक काफी कम हैं; सभी पत्रिकाओं को हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित कराने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय केवल चार पत्रिकायें—कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी और हिन्दी), ग्रामीण विकास न्यूजलेटर (अंग्रेजी और हिन्दी) प्रकाशित करता है।

(ख) हिन्दी में कुरुक्षेत्र और ग्रामीण विकास न्यूजलेटर की क्रमशः 6475 तथा 10,500 प्रतियां मुद्रित कराई जाती हैं जबकि अंग्रेजी में कुरुक्षेत्र और ग्रामीण विकास न्यूजलेटर की क्रमशः 8725 तथा 9000 प्रतियां मुद्रित कराई जाती हैं।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पत्रिकायें हिन्दी में भी साथ-साथ प्रकाशित की जाती हैं। इन पत्रिकाओं को अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने की किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

वार्षिक प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु का मूल्यांकन

@2109. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सभी वैज्ञानिक विभागों के हिन्दी में प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु का मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस कार्य को किसी संस्थान को सौंपे जाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ताकि हिन्दी में प्रकाशित प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु की समीक्षा की जा सके और उनमें एकरूपता लायी जा सके ;

(घ) क्या वैज्ञानिक विभागों के हिन्दी में प्रकाशित प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की वैज्ञानिकों से समीक्षा करायी जाती है और तदनुसार जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) सभी वैज्ञानिक विभाग यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी वार्षिक रिपोर्टों के अंग्रेजी और हिन्दी पाठों में दी गई सामग्री मूल रूप से एक सी हो।

सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी में रूपांतरण सम्बद्ध हिन्दी अनुभागों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा विभागों के वैज्ञानिक अधिकारियों से विचार-विमर्श करते हुए एवं वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (मानव संसाधन विकास

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 972, 6 मई 1992 से स्थानांतरित ।